BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL BENCH AT BHOPAL

O.A. 64/2020

Aadhyatmik Kshtera Paryavaran Sansthan---------------------------------- APPLICANT

//VERSUS//

State of Rajasthan and Ors--RESPONDENTS

COMPLIANCE REPORT IN ACCORDANCE TO THE ORDER PASSED BY THE HON'BLE TRIBUNAL DATED 07/09/2022

BHOPAL

10/10/2022

RESPONDENT

THROUGH COUNSEL

माननीय

राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल (मध्य प्रदेश)

के समक्ष,

प्रकरण संख्या 64 / 2022

प्रार्थी :- आध्यात्मिक क्षेत्रीय पर्यावरण संस्थान जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी :- राजस्थान राज्य एवं अन्य

<u>अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत</u>

महोदय

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के विरूद्ध विभाग द्वारा की गयी अनुपालना का विवरण निम्नानुसार बिंदुवार रूप से प्रस्तुत है।

1. इस कार्यालय के अधीनस्थ रेंज मण्डोर के वनखण्ड बड़ा भाखर मौजा गेंवा के खसरा नम्बर 885 के 553 बीघा 16 बिस्वा भूमि वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद है एवं मौजा गेंवा के खसरा नम्बर 885/2 के 27 बीघा 2 बिस्वा वर्तमान में तहसीलदार जोधपुर द्वारा वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद की जा चुकी है। अमल दरामद आदेश की प्रति पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है एवं वर्तमान में पुनः सलंग्न है जो कि पेज संख्या 1 से 2 पर संलग्न है।

2. जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा जारी आदेश संख्या प12 (3) राज/आवंटन/नगर निगम/2015/3223 दिनांक 10.07.2015 के जरिये मौजा मंडोर के प्रभावित खसरा नम्बरान में नगर निगम जोधपुर को आवंटित की गयी वनभूमि के आवंटन को निरस्त करवाने के लिए जिला कलक्टर जोधपुर को इस कार्यालय के पत्र संख्या 11126 दिनांक 01.02.2022 के जरिये अनुरोध किया गया था। इस पत्र के अनुक्रम में तहसीलदार जोधपुर द्वारा पत्र संख्या 2258 दिनांक 17.08.2022 के जरिये यह अवगत करवाया है कि वनखण्ड बेरीगंगा के मौजा मडोर के खसर नंबर 1259, 1262. 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1406 एवं अन्य खसरान की वनभूमि का वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद भी कर दिया गया है। अतः इस प्रकरण से संबंधित खसरान की भूमि के अमल दरामद किये जाने की सूचना एवं जमाबंदी की प्रति प्राप्त हो जाने के बाद अब और कोई अनुपालना शेष नहीं रह जाती है। तहसीलदार जोधपुर का पत्र संख्या 2258 दिनांक 17.08.2022 एवं जमाबंदी की प्रतियां संलग्न है, जो कि पेज 3 संख्या से 6 पर संलग्न है।

E:\vidhi\vidhi 2022.docx

3. कार्यालय के अधीनस्थ रेंज मण्डोर के वनखण्ड बड़ा भाखर मौजा गैंवा के खसरा नम्बर 885/2 में एक शवदाह गृह बना हुआ पाया गया है। इस शवदाह गृह का क्षेत्रफल 1100 वर्ग मीटर है एवं इस शवदाह गृह को हटाने के लिए इस कार्यालय के पत्र संख्या 2345 दिनांक 16.08.2022 पत्र संख्या 2345 दिनांक 16.08.2022 एवं पत्र संख्या 5068 दिनांक 13.09.2022 के जरिये आयुक्त नगर निगम दक्षिण जोधपुर को सूचित किया गया था। आयुक्त नगर निगम दक्षिण जोधपुर को प्रेषित नोटिस की प्रति संलग्न है, जो कि पेज संख्या 7 संलग्न है। नगर निगम दक्षिण जोधपुर को सूचित किये जाने के बावजूद भी अतिक्रमित संरचना नहीं हटाये जाने पर नगर निगम दक्षिण के विरूद्ध के राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत अतिक्रमण दर्ज कर उप वन संरक्षक न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। इस अतिक्रमण का प्रकरण संख्या 04/2022 है। नगर निगम दक्षिण जोधपुर के विरूद्ध दर्ज प्रकरण की प्रति संलग्न है, जो कि पेज संख्या 8 पर संलग्न है।

4. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 को पारित आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए वन सचिव महोदय राजस्थान सरकार जयपुर के कक्ष में दिनांक 29.9.2022 को बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में जिला कलक्टर जोधपुर वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये उपस्थित हुए थे एवं उनके द्वारा मौखिक रूप से यह अवगत करवाया गया है कि वनभूमि में बने शवदाह की भूमि के वनभूमि होने या नहीं होने की संपुष्टि के लिए संयुक्त सर्वेक्षण करवाया जायेगा एवं इस सर्वेक्षण में यदि शवदाह गृह वनभूमि में आना पाया जाता है, तो इस संबंध में भारत सरकार से प्रत्यावर्तन के जरिये कार्येतर स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अब माननीय अधिकरण से निवेदन है कि इस प्रकरण में कोई भी अनुपालना शेष नहीं रह जाती है।
अतः इस प्रकरण को निस्तारित करवाने का कष्ट करावे।
अनुपालना रिपोट उपरोक्तानुसार प्रस्तुत है।

भवदीय

(अजित उचोई)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

जमाबन्दी

तहसील/ग्राम: गीगा
तहसील: ओसियां
संवत: 2059 - 2062
खेवटदार: [illegible]

पटवार क्षेत्र: गीगा
जिला: जोधपुर
वास्तविक सम्वत: 2059

मु. अभिलेख निरीक्षक ओसियां
दिनांक: 17/6/2004

पृष्ठ सं. 2
पृष्ठ व. [illegible] 1

Version

आंशिक प्रतिलिपि

खेवट (खतौनी) नया	खेवट (खतौनी) पुराना	नि धारक नम्बर	काश्तकार का नाम, पिता सहित व पता सहित	खिताब जाति	खसरा नं.	क्षेत्रफल	भूमि का किस्म		सिंचाई के साधन	बेसर	रकम	नामान्तरकरण संख्या व तथा तारीख	भूमि जोत विशिष्टियाँ जिस के तहत भूमि आवंटित हो	टिप्पणियाँ
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	13
360	323	जम	वन विभाग जोधपुर		28/मिन0	4-08	बारानी IV	4-08						
		रकबा	(रकबा [illegible])		29/मिन0	2	बारानी IV	2						
					33	109								
					33/1/2	12	गै.मु.मगरा	12						
					78	14-17	गै.मु.पहाड़	14-17						
					79/मिन1	9	गै.मु.मगरा	9						
					80	14-08	गै.मु.नाडी	14-08						
					81	602-03	गै.मु.पहाड़	602-03						
					81/1	14-01	गै.मु.नाडी	14-01						
					82	320	गै.मु.पहाड़	320						
					82/1	9-04	गै.मु.आबादी	9-04						
					82/2	2-10	गै.मु.नाडी	2-10						
					83	333-19	गै.मु.पहाड़	333-19						
					83/1	0-08	गै.मु.नाडी	0-08						
					84	171-16	गै.मु.पहाड़	171-16						
					84/1	18	गै.मु.नाडी	18						
					697	2-03	गै.मु.मगरा	2-03						
					698	5-04	बारानी IV	5-04						
					692/1	2	बारानी IV	2						
					692/2	2-02	गै.मु.रास्ता	0-02						
					699/1	0-03	गै.मु.पहाड़	0-03						
					699/2	0-07	गै.मु.रास्ता	0-07						
					714	46-05	गै.मु.पहाड़	46-05						
					714/1	3-09	गै.मु.रास्ता	3-09						
					715	3-13	बारानी IV	3-13						
					715/1	0-02	गै.मु.रास्ता	0-02						
					715/2	0-10	गै.मु.रास्ता	0-10						
					715/3	1-15	बारानी IV	1-15						
					781/2	404	गै.मु.पहाड़	404						
					811	751	गै.मु.पहाड़	751						
					814	722-07	गै.मु.पहाड़	722-07						
					816	0-18	गै.मु.[illegible]	0-18						
					817	5-15	गै.मु.मगरा	5-15						
					819	1165-03	गै.मु.पहाड़	1165-03						
					821	168-07	गै.मु.[illegible]	168-07						

राजकार्य हेतु प्र.पु.कुमारा।

(1)

जमाबन्दी

पटवार क्षेत्र: गैता [illegible]   पटवार क्षेत्र: गैता   प्र.[illegible] निरीक्षक [illegible]   प्रपत्र सं. 2
तहसील: [illegible]   जिला: [illegible]   दिनांक: 18/6/2004   पृष्ठ सं. [illegible]
सम्वत: 2058 - 2062   वास्तविक सम्वत 2059
खेवटदार: [illegible]

खेवट/खतौनी नम्बर	खेवट/खतौनी दूसरा	कृषि धारक का नाम	काश्तकार का नाम, पिता, जाति, एवं निवास स्थान के पता सहित तथा कृषि करण	खसरा नं.	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	[illegible]	लगान दर	लगान रकम	नामान्तरकरण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि अथवा [illegible] जिस के पास भूमि अन्तरित हो	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
				821	359-01	गै.मु.पहाड़ 359-01						
				823	70-11	गै.मु.पहाड़ 70-11						
				825	15	गै.मु.पहाड़ 15						
				826	5	गै.मु.नाडी 5						
				827	105-05	गै.मु.पहाड़ 105-05						
				829	3-01	गै.मु.रास्ता 3-01						
				830	5-18	गै.मु.पहाड़ 5-18						
				832	13-12	गै.मु.नाला 13-12						
				834	53-08	गै.मु.नाला 53-08						
				835	11-10	गै.मु.नाडी 11-10						
				836	1-18	गै.मु.आबादी 1-18						
				837	107-11	गै.मु.नाला 107-11						
				838	1223-03	गै.मु.पहाड़ 1223-03						
				839	2210	गै.मु.पहाड़ 2210						
				840	14-03	गै.मु.पहाड़ 14-03						
				841	33-16	गै.मु.पहाड़ 33-16						
				843	157-17	गै.मु.पहाड़ 157-17						
				844	3-04	गै.मु.नाला 3-04						
				845	0-12	गै.मु.नाला 0-12						
				846	4-13	गै.मु.रास्ता 4-13						
				847	1-07	गै.मु.रास्ता 1-07						
				848	5-11	गै.मु.आबादी 5-11						
				849	4-17	गै.मु.नाडी 4-17						
				850	3-01	गै.मु.आबादी 3-01						
				851	12-03	गै.मु.नाडी 12-03						
				853	538-05	गै.मु.पहाड़ 538-05						
				855	2-08	बारानी IV 2-08						
				855/1	0-05	गै.मु.नाडी 0-05						
				856	1-18	गै.मु.आबादी 1-18						
				158	1684-11	गै.मु.पहाड़ 1684-11						
				867	1645-15	गै.मु.पहाड़ 1645-15						
				882/2/1	27-03	गै.मु.रास्ता 27-03						
				884	494-18	गै.मु.पहाड़ 494-18						
				885	553-16	गै.मु.पहाड़ 553-16						
				886	781-17	गै.मु.पहाड़ 781-17						

म्यू.न. 931 दि. 17/3/18 — ईमं 858नं 2-00 बीघा गै.मु.पहाड़; 867नं 22-15 बीघा —"—; 884नं 4-10 बीघा —"— के नामदर्ज [illegible] [illegible]

[illegible] 831 [illegible] 10.6.0 [illegible]

[illegible] 208 दिनांक 15-03-22 की पालना में [illegible] 882/2/1 [illegible] 27-03 [illegible] दर्ज किया। [illegible]

[illegible] हेतु [illegible]

Mail
28/09

राजस्थान–सरकार

कार्यालय तहसीलदार जोधपुर

(3)

क्रमांक / रीडर / 2022 / 2258

प्रेषित :–

दिनांक –17 / 08 / 2022

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
जोधपुर।

विषय :–माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, भोपाल बैंच में दर्ज मूल प्रकरण संख्या ओए 64 / 2020 आध्यात्मिक क्षैत्र पर्यावरण संस्था बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान।

प्रसंग :–श्रीमान् पत्र क्रमाक : राजस्व / विविध / 2022 / 1831 दिनांक 23 / 02 / 2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत के सम्बध में निवेदन है कि याचिका प्रकरण संख्या ओए 64 / 2020 आध्यात्मिक क्षैत्र पर्यावरण संस्था बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में श्रीमान् उप वन संरक्षक जोधपुर द्वारा श्रीमान् को प्रेषित् सूचि जिन में जो खसरे वन विभाग के नाम दर्ज नहीं है एवम् नगर निगम जोधपुर को आवटन कर दिया है पुनः वन विभाग के नाम दर्ज करने की मांग की है जिनमें बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

01. यह है कि ग्राम श्रीमान् के प्रासांगिक पत्र के संलग्न कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर के पत्र में वर्णित ग्राम मण्डोर के खसरों कि तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1259	59–10 बीघा	गै.मु. भाखर
1262	156–11बीघा	गै.मु. भाखर
1293	03–01 बीघा	गै.मु. रास्ता
1294	1011–06बीघा	गै.मु. भाखर
1295	08–04 बीघा	गै.मु. नाडी
1296	03–06 बीघा	गै.मु. आबादी
1297	10–13 बीघा	गै.मु. शमशान
1298	62–03 बीघा	गै.मु. भाकर
1299	04–11 बीघा	गै.मु. भाकर
1300	18–09 बीघा	दरगाह
1301	01–03 बीघा	गै.मु. रास्ता
1302	13–01 बीघा	गै.मु. भाकर
1303	40–19 बीघा	गै.मु. किला
1304	09–08 बीघा	गै.मु. बाला
1305	46–00 बीघा	गै.मु. भाकर
1306	12–12 बीघा	गै.मु. नाडी
1307	08–06 बीघा	गै.मु. नाडी
1406	17–16 बीघा	गै.मु. तालाब

सहा. परिवाद (3) 30/9/2022

4536
04/10/2022

तहसीलदार, जोधपुर

उपरोक्त सभी खसरे म्यूटेशन नम्बर 2499 दिनांक 21.03.2013 से वन विभाग के नाम दर्ज है।

02. यह है ग्राम गेंवा के खसरा नम्बर 781 मी., 781/3, 885/2 तथा 33 की रेकर्ड स्थिती निम्नानुसार है :–

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
33	05–18	गै.मु. मगरा

यह भूमि सिवायचक थी ना.स. 918 दिनांक 17.08.2016 के अनुसार नगर निगम जोधपुर के नाम दर्ज हुई जो वर्तमान में नगर निगम जोधपुर के नाम दर्ज है।

781 मी.	105–04 बीघा	गै.मु. पहाड
781/3	00–04 बीस्वा	रकर्ड में दर्ज नहीं

यह भूमि सिवायचक थी जिसे नामन्तरण संख्या 911 दिनांक 12.03.2016 के अनुसार नगर निगम जोधपुर के नाम दर्ज हुई जो वर्तमान में नगर निगम जोधपुर के नाम दर्ज है।

885/2/1	27–03 बीस्वा	गै.मु दरडा

यह भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है, पूर्व में अशुद्व ख.न. 882/2/1 था जिसको शुद्वि पत्र सं. 08 दिनांक 15.03.2022 के अनुसार 882/2/1 के स्थान पर 885/2/1 अंकित किया गया। इस प्रकार ग्राम मण्डोर के सभी खसरे वन विभाग के नाम ही दर्ज है एवम् ग्राम गेंवा का खसरा 885/2/1 भी वन विभाग के नाम है शेष खसरे ग्राम गेंवा खसरा न. 781 मी. रकबा 105–04 बीघा गै.मु. पहाड तथा खसरा नम्बर 33 रकबा 5–18 बीघा गै.मु. मगरा नगर निगम के नाम दर्ज है एवम् मौके पर आबादी बसी हुई है। खसरा नम्बर 781/3 रकबा 00–04 बीस्वा राजस्व रेकर्ड में कोई खसरा नहीं है।

03. यह है कि ग्राम गेंवा की खतौनी (मिसल बन्दोबस्त) संवत् 1999 के खाता सं. 134 में ख. न. 33 रकबा 114.18 बीघा गै.मु. मगरा तथा खाता संख्या 127 के ख.न. 781 रकबा 644. 19 गै.मु. पहाड सिवाचक दर्ज है एवं वन विभाग का खाता संख्या 113 पृथक से अंकित है। जिसमें कुल खसरें 8 रकबा 519.12 अंकित है इस प्रकार वन विभाग की भूमि नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं की गई है।

तथ्यात्मक रिपोर्ट राजस्व रेकर्ड के साथ श्रीमान् की सेवा में आवश्यक तथा अग्रीम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :– राजस्व रेकर्ड की प्रतियाँ।

तहसीलदार जोधपुर
जिला–जोधपुर

जमाबन्दी

खसरा (मालिकान)		भूमि धारकों का नाम	खातेदार का नाम, पिता जाति तथा निवास स्थान के पता सहित तथा कृषि काल	खसरा नं.	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	देय लगान		लगान/प्रीमियम आदेश व तथा तारीख	भूमि संबंधित विशिष्टियां जिसके बारे में अंतर्गत हों	टिप्पणी
नया	पुराना							दर	रकम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

खातेदार के नाम (हस्तलिखित): [illegible]

[illegible] नं. 2568 आदेश दि. 12-12-15 द्वारा. जोधपुर
[illegible] निगम, जोधपुर

खसरा	रकबा	किस्म
[illegible]	0-15	[illegible]
[illegible]	0-10	गै.मु. [illegible]
[illegible]	0-08	
[illegible]	1-06	गै.मु. [illegible]
[illegible]	0-06	गै.मु. [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	गै.मु. [illegible]
[illegible]	5-15	गै.मु. [illegible]
[illegible]	1-06	गै.मु. नदी
[illegible]	4-03	
[illegible]	1-12	गै.मु. [illegible]
[illegible]	1-03	
[illegible]	1-06	गै.मु. [illegible]
[illegible]	3-01	गै.मु. [illegible]
1310	0-11	[illegible]
1333	3-03	गै.मु. [illegible]
1341	3-10	गै.मु. नदी
1372	0-06	गै.मु. [illegible]
1377	0-02	
[illegible]	0-03	गै.मु. [illegible]
[illegible]	1-00	गै.मु. [illegible]
[illegible]	1-06	गै.मु. [illegible]
[illegible]	1-10	गै.मु. नदी दर्ज किया,

[illegible]

[illegible] आदेश सं. 2499 दि. [illegible] अतिरिक्त जिला कलक्टर महो. जोधपुर के [illegible] 2012-2021 दि. 4.12.12 एवं [illegible] अ.भू.अ./4478 दि. 14.12.12 की पालना में [illegible] भूमि पुन निगम के नाम दर्ज की गयी।

खसरा	रकबा (बीघा में)
1259	59.10
1262	156.11
1293	3.01
1294	1011.06
1295	8.04
1296	3.06
1297	10.13
1298	62.03
1299	4.11
1300	18.09
1301	1.03
1302	13.01
1303	~~[illegible]~~ 40.14
[illegible]	[illegible]

राजकीय कार्य हेतु [illegible]

True copy
[illegible]
23/01/17
[illegible] मण्डोर

(33)

(5)

पटवार मण्डल: डांगियावास
तहसील: जोधपुर
संवत: 2060 – 2062

उपरोक्त [illegible]

पटवार क्षेत्र
जिला
वास्तविक ग्राम

भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र
दिनांक

(34)

पृष्ठ सं. 26
पृष्ठ नं. कुल

Version

खाता (संख्या)		भूमि धारकों का नाम	काश्तकार का नाम, पिता जाति तथा निवास स्थान के साथ सहित तथा कृषि करता	खसरा नं.	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	देय लगान		नामान्तरकरण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि अधिग्रहण विनिर्दिष्ट जिसके मध्य भूमि अन्तरित हो	टिप्पणियां
नया	पुराना							दर	रकम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

खाता क्र. 1 सरकार

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जोधपुर के आदेश न. रा.ज./12/2013-2021 दि. 04.12.12 एवं तहसीलदार जोधपुर के आदेश न. भू/4478 दि 14.12.12 के पालना में निम्नलिखित अनुसार (भूमि जल निगम के नाम दर्ज की गई):-

ख.नं.	रकबा (बीघा में)
1405	766.06.15
1406	17.16
2	784.02.15

23 बीघा मण्डोर II में है कुल
23+39-18 = 42-18 बीघा

नामा.क्र. 1631 दि. 9.06 अनुसार ख.नं. 1405 में से आवंटित हेतु 165.5 बीघा (प्रकाश बिहारी) [illegible] (21/1 [illegible]) [illegible]

M.NO. 1329 ख.नं. 1464 में से 64 बीघा भूमि [illegible]
10.9.03 जोधपुर [illegible] 14

नामा. सं. 2569 आदेश दि. 12-12-15 द्वारा –
जोधपुर नगर निगम जोधपुर

ख.नं.	रकबा	किस्म
1410	31-16	गै.मु. [illegible]
1411	1-17	गै.मु. आबादी
1460	89-13	[illegible]
1463	1-00	गै.मु. आबादी
1466	0-18	गै.मु. नाडी
1467	0-12	गै.मु. आगोर
1468	0-05	गै.मु. शाला
1472	0-14	[illegible]
1481	0-08	गै.मु. [illegible]
1482	2-00	गै.मु. [illegible]
1483/1	48-05	गै.मु. आगोर
1485	0-13	गै.मु. नदी
1493	10-18	गै.मु. नाडी
1498	54-01	गै.मु. आगोर
1513	39-18	— " —
1523/2	1-12	गै.मु. [illegible]
1560	1-02	[illegible]
1565	4-13	[illegible] 2+3
1566	5-02	
1567	1-08	गै.मु. [illegible]
1569	2-14	गै.मु. आबादी
1579	6-16	गै.मु. [illegible]
1585	0-16	— " — [illegible]
1588	0-05	गै.मु. आबादी
1589	6-18	गै.मु. [illegible]
1590	0-13	गै.मु. [illegible]

दर्ज किया [illegible] बदस्तूर रहा।

राजकीय कार्य हेतु
निःशुल्क जारी
True Copy

[signature]
28/6/17
पटवारी (प.मं.) मण्डोर
तहसील व जिला-जोधपुर

(6)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

औषधि योजना

पुलिस कमिश्नरेट के सामने, रोटरी सर्कल के पास, जोधपुर (राज.)-342001फोन न. 0291-2636753 Email- dcf.jdpr.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ (144)/विधि/2022/उवसं/ 5068 दिनांक : 13-09-2022

निमित्त : आयुक्त महोदय
नगर निगम (दक्षिण), जोधपुर

विषय :- केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना अधिसूचित वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य करवाये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.96 की अवमानना करने के क्रम में।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक 3047 दिनांक 25.7.2022, पत्रांक 3543 दिनांक 03.8.2022 एवं पत्रांक 4150 दिनांक 13.8.2022

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय के अधीनस्थ रेंज मण्डोर के निम्नांकित अधिसूचित वन क्षेत्र में नगर निगम जोधपुर द्वारा निम्न विवरणानुसार गैर वानिकीय कार्य करवाया गया है।

क्र.सं.	कार्यस्थल जानकारी बिन्दु	विवरण
1.	वनखण्ड का नाम	वनखण्ड बड़ाभाखर
2	राजस्व मौजा व खसरा नम्बर	मौजा गेंवा खसरा नं. 885/2
3.	कार्य का विवरण	वनभूमि में बिना सक्षम स्वीकृति के शवदाह गृह बनाना।

दिनांक 25.10.80 से राज्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। इस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत किसी भी अधिसूचित वनभूमि में गैर वानिकीय कार्य करवाये जाने से पूर्व अनारक्षण प्रस्ताव के मार्फत भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रकरण गोदावरमन बनाम भारत संघ के प्रकरण में प्रदत निर्णय दिनांक 12.12.96 को यह उद्धरित किया है कि किसी भी अधिसूचित वनभूमि में गैर वानिकीय कार्य करवाये जाने से पूर्व अनारक्षण प्रस्ताव के मार्फत भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इस कार्य से राजस्थान वन अधिनियम 1953 का भी उल्लघंन हुआ है। इस भूमि पर भूमि स्वामित्व के संबंध में आप कोई अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते है तो, विधि सम्मत दस्तावेजों के साथ 03 दिवस में प्रस्तुत कर सकते है। इस गैर वानिकीय कार्य के संबंध में अनारक्षण प्रस्ताव के जरिए भारत सरकार से कार्यतर अनुमति प्राप्त करना भी एक विकल्प हो सकता है। यदि आप द्वारा नहीं करवाया गया है तो भी इस कार्यालय को सूचित करने हेतु अनुरोध किया गया था लेकिन आज दिनांक तक उक्त प्रकरण में प्रत्युत्तर इस कार्यालय का प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय नेशनल ग्रीन टिब्युनल भोपाल द्वारा प्रदत अंतरिम आदेश **दिनांक 07.09.2022** की अनुपालना में पुनः निर्देशित किया गया है कि इस वन भूमि पर से यह अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर सचिव महोदय, ग्रामीण विकास विभाग एवं सचिव महोदय वन विभाग राजस्थान सरकार को शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा तथा अगली पेशी तिथी पर विडियो क्रॉफेसिंग के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, भोपाल के समक्ष पेश होना पड़ेगा। इस प्रकरण की **अगली सुनवाई तिथि 11.10.2022 नियत है।**

कृपा प्रत्युत्तर शीघ्र प्रदान करावें।

भवदीय
(अजीत उचोई)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांक: एफ( ) सम/ 5069-71 दिनांक : 13-09-2022

प्रतिलिपि :- 1. श्रीमान् जिला कलक्टर, जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. आयुक्त नगर निगम (उत्तर), जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी मण्डोर।

उप वन संरक्षक
जोधपुर

न्यायालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

भू राजस्व प्रकरण
संख्या 04 / 2022

प्रार्थी: राज्य सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी, मण्डोर

बनाम

अप्रार्थी: आयुक्त नगर निगम दक्षिण जोधपुर

नोटिस

(भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत)

संदर्भित प्रकरण प्रस्तुत कर प्रार्थी ने यह आवेदन किया है कि आपने **वनखण्ड भुतेश्वर** के **मौजा गैवा के खसरा नं. 885/2 की 1175 वर्गमीटर** वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है। इस नोटिस के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 06.10.2022 से पूर्व उक्त भूमि खाली कर दे अथवा आप स्वयं या आपका प्लीडर दिनांक 06.10.2022 को समय दोपहर 02:00 बजे कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर, डाक बंगले के सामने रोटरी सर्किल जोधपुर में उपस्थित होवें तथा यह हेतुक दर्शित करें कि उक्त वनभूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण करने के लिए

1. आपको इस वनभूमि से बेदखल क्यो नही किया जाए तथा आप द्वारा वनभूमि में अतिक्रमण कर बनायी गयी संरचना को वनभूमि से क्यो नही हटा दिया जाए।
2. आपके विरूद्ध निर्धारित लगान की पचास गुना शास्ति दण्डस्वरूप अधिरोपित क्यो नही की जाए।

इस नोटिस में वर्णित दिनांक, समय व स्थान पर आपके उपस्थित नहीं होने पर उक्त प्रकरण, आपकी अनुपस्थिति में निस्तारित कर दिया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा में जारी किया गया।

दिनांक 19/09/2022

न्यायालय उप वन संरक्षक जोधपुर

पीठासीन अधिकारी
उप वन संरक्षक,
जोधपुर

नगर निगम जोधपुर (दक्षिण)

आवक क्रमांक 139162 आवक दिनांक 27/09/2022

जोन	मुख्य कार्यालय
प्रेषक का नाम :	पीठासीन अधिकारी उप वन संरक्षक जोधपुर
पता :	न्यायालय उप वन संरक्षक जोधपुर
	राज्य सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी मण्डोर जोधपुर
विषय :	नोटिस भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत